न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस

225RTA2024-079(GCMS2024-155)

1. गवरी पत्नी राजूराम विश्नोई
2. राधा पत्नी ओमाराम विश्नोई
   जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम दलजी की ढाणी,
   जालोडा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी
   हाल निवासी मांजुनगर, फतेहसागर,
   लोहावट, फलोदी

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. सुरताराम पुत्र फौजाराम
2. प्रेमप्रकाश पुत्र सुरताराम
3. अर्जुनराम पुत्र सुरताराम
4. खेराजराम पुत्र फौजाराम
5. मगनाराम पुत्र फौजाराम
6. भगवानाराम पुत्र फौजाराम
7. पुनमचन्द पुत्र सुरताराम
   जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम दलजी की ढाणी,
   जालोडा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी
8. बगडूराम पुत्र हणुतराम जाति विश्नोई
   निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट,
   जिला फलोदी
9. कालुराम पुत्र जगमालराम
10. सांवलाराम पुत्र जगमालराम
11. बाबुराम पुत्र जगमालराम
    जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम सामराउ,
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर (ग्रामीण)
12. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार लोहावट
    जिला फलोदी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 08 अगस्त 2017 प्रकरण संख्या 08/2016 सुरताराम व अन्य बनाम गोपुराम आदि

--- 0 ---

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित -

- श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
- श्री सतीश चन्द्र ग्वाला व श्री हिमान्शु गहलोत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
- श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7
- श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 08/2016 सुरताराम व अन्य बनाम गोपुराम आदि में पारित आदेश दिनांक 08 अगस्त 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का भी निवेदन किया गया। साथ ही अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने हेतु भी एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के तहत एक प्रार्थनापत्र अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 401 रकबा 73 बीघा वाके ग्राम दलजी की ढाणी तहसील लोहावट तक आवागमन हेतु आराजी खसरा संख्या 712 रकबा 10 बीघा 22 बिस्वा, खसरा संख्या 714 रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा तथा अन्य खसरा की भूमि से रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 अगस्त 2017 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश करने व उसकी कार्यवाही के समय खसरा संख्या 712 व 714 के मूल खातेदार गोपुराम पुत्र हणुतराम (जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या एक के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया) को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और उस पर नोटिस/सम्मन की सम्यक व समुचित तामील कराये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसे विचारण न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि अपीलाण्ट्स द्वारा पूर्व खातेदार गोपुराम से खरीद की जाकर मौके पर माप करवाया गया तो दिनांक 06 मई 2024 को यह तथ्य प्रकट हुआ कि खसरा संख्या 714 की तरमीम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित है। इस कारण अपीलाण्ट्स, जो उक्त खसरा की भूमि के केता होकर पूर्व खातेदार के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है, द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे और ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु पूर्व से अन्य रास्ता उपलब्ध है जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत जबाब-प्रार्थनापत्र से होती है। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार/अपीलाण्ट्स की उपस्थिति में तैयार नहीं किये जाने व सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये जाने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश में दिये गये रास्ते की लम्बाई-चौडाई का अंकन भी नहीं किया गया है जिससे रास्ते की सही स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत न्यायालय उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी लोहावट के समक्ष अलग से कार्यवाही इन आराजियात के संबंध में विचाराधीन होना भी जाहिर किया। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलाण्ट्स के श्वसुर व पिता गोपुराम (अप्रार्थी संख्या एक) की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 712 व 714 तथा रेस्पो. खैराजराज (अप्रार्थी संख्या 2) की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 401/2 व अन्य खातेदारान की भूमि से होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 401 तक आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, मगर नोटिसों की सीपीसी के प्रावधानानुसार सम्यक व समुचित तामील हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 गोपुराम विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया और न ही कोई जबाब प्रस्तुत किया गया। अतः दिनांक 13 फरवरी 2017 को उक्त अप्रार्थी गोपुराम के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गयी और बाद आवश्यक कार्यवाही विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि संबंधित तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से वस्तुस्थिति की समग्र जानकारी प्राप्त करने के बाद ही विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र में याचित रास्ता नियमानुसार प्रतिकर की राशि अदा किये जाने की आज्ञा सहित अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने न्यायालय का ध्यान 2019(2) आरआरटी 1210 की ओर आकर्षित किया और अपील अपीलाण्ट्स मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि जमाबंदी ग्राम दलजी की ढाणी संवत 2074-2077 में आराजी खसरा संख्या 712 व 714 वाके बाबत गवरी पत्नी राजूराम ½ हिस्सा व राधा पत्नी ओमाराम ½ हिस्सा खातेदार दर्ज है, अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार वर्तमान स्तर पर विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका है, जिसमें अपीलाधीन आदेश उपलब्ध है। अतः अपीलाधीन आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि पेश अपील के साथ प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किया जाता है।

मियाद के बिन्दु बाबत विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या एक गोपुराम पुत्र हणुतराम (आराजी खसरा संख्या 712 व 714 के तत्कालीन खातेदार) पर तामीलशुदा नोटिस विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं। तामील के उपरान्त भी विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त अप्रार्थी संख्या एक उपस्थित नहीं आने एवं उसकी ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिनांक 13 फरवरी 2017 पारित किये गये जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। वर्तमान अपीलाण्ट्स का तत्समय उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में कोई हित निहित नहीं था, अतः उन्हें किसी प्रकार की सूचना दिये जाने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणावगुण के संदर्भ में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 401 तक आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से होती है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का तथ्य किसी ठोस आधार पर किसी भी पक्षकार द्वारा साबित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित (प्रार्थीगण द्वारा याचित) रास्ते के नाप सहित प्रयुक्त होने वाले रकबे का भी विवरण अंकित है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि का डी.एल.सी. दर की दोगुना राशि की बतौर प्रतिकर अदायगी प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 द्वारा किये जाने की आज्ञा देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 अगस्त 2017 पारित किया गया है, जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) आरआरटी 1210 के आलोक में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 अगस्त 2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14 अक्तूबर 2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर